

संघिका सं0-7/वजट-46-19/2025 - 387(7A)

बिहारसरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०शे०

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक- 16/09/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में सारण प्रमंडल छपरा के 8 (आठ) अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र अर्थात् 9 स्वास्थ्य संस्थानों के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत योजना की पुनरीक्षित राशि रुपये 13,61,88,954/- (रुपये तेरह करोड़ इकसठ लाख अठ्ठासी हजार नौ सौ चौवन) मात्र की पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदत्त योजना के पुनः पुनरीक्षण के उपरान्त पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि कुल रु० 13,82,08,272/- (रुपये तेरह करोड़ बेरासी लाख आठ हजार दो सौ बहत्तर मात्र की पुनरीक्षित स्वीकृति के साथ अन्तर राशि रु० 13,82,08,272-13,61,88,954= 20,19,318/- (रुपये बीस लाख उन्नीस हजार तीन सौ अठारह) मात्र की व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सारण प्रमंडल अंतर्गत 8 (आठ) अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 1 (एक) स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन निर्माण के साथ अन्य कार्य हेतु क्रमशः प्रति ईकाई रुपये 1,65,03,000/- एवं 26,98,000/- की दर से प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में सारण प्रमंडल के 8 (आठ) अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण कार्य हेतु 1,65,03,000X8=13,20,24,000/- एवं एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन निर्माण कार्य हेतु 26,98,000/- रुपये अर्थात् कुल रुपये 13,20,24,000+26,98,000=13,47,22,000/- (रुपये तेरह करोड़ सैंतालिस लाख बाइस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1142(10), दिनांक-21.02.2019 द्वारा प्रदान की गयी थी एवं आवंटनादेश संख्या-30(10)व, दिनांक-28.02.2019 द्वारा आवंटन दी गयी थी।

2- वित्तीय वर्ष 2025-26 में गोपालगंज जिला में हथुआ प्रखण्ड के अंतर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुसौंधी के भवन निर्माण कार्य के पुनरीक्षण के उपरान्त पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि कुल रु० 13,61,88,954/- (रुपये तेरह करोड़ इकसठ लाख अठ्ठासी हजार नौ सौ चौवन) मात्र एवं अन्तर राशि रु० 14,66,954/- (रुपये चौदह लाख छियासठ हजार नौ सौ चौवन) मात्र की व्यय की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-267(7), दिनांक-02.09.2025 द्वारा दी गयी है।

3- पुनः मुख्य महाप्रबंधक (परि०), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के पत्रांक-3358, दिनांक-05.08.2026 द्वारा सारण प्रमंडल अंतर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुसौंधी के भवन निर्माण कार्य के अतिरिक्त अधिशेष योजना का पुनरीक्षण कर समेकित रूप से तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि रु० 13,82,08,272/- (रुपये तेरह करोड़ बेरासी लाख आठ हजार दो सौ दो) मात्र पर योजना की पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान करते हुए अधिकाय राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

4- उक्त के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2018-19 में सारण प्रमंडल छपरा के 8 (आठ) अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र अर्थात् 9 स्वास्थ्य संस्थानों के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत योजना की पुनरीक्षित राशि रुपये 13,61,88,954/- (रुपये तेरह करोड़ इकसठ लाख अठ्ठासी हजार नौ सौ चौवन) मात्र की पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदत्त योजना के पुनः पुनरीक्षण के उपरान्त पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि कुल रु० 13,82,08,272/- (रुपये तेरह करोड़ बेरासी लाख आठ हजार दो सौ बहत्तर मात्र की पुनरीक्षित स्वीकृति के साथ अन्तर राशि रु० 13,82,08,272-13,61,88,954= 20,19,318/- (रुपये बीस लाख उन्नीस हजार तीन सौ अठारह) मात्र की व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

-2-

5- इस पर होने वाले व्यय का वहन गांंग रां0-20 के अंतर्गत राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परियोजना, उप मुख्यशीर्ष-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष-051-निर्माण, उपशीर्ष-0109-स्वास्थ्य उपकेन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवनों का निर्माण, विपत्र कोड-20-4210020510109, विषय शीर्ष-(53 01) मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6- उक्त कार्य विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1142(10), दिनांक-21.02.2019 में निहित प्रावधानों/शर्तों एवं वित्तीय प्रावधानों के अधीन बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा कराया जायेगा।

7- इस राशि के निकाली एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

8- अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करावेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं०-PBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID में जमाकर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

9- बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना पी0एल0 एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी0एल0 खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करावेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करावेंगे।

10- राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि०(2), दिनांक-17.04.98, 8543 वि०(2), दिनांक-27.11.2007, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

11- प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-7/बजट-46-19/2025 के पृष्ठ-40/टि० में प्राप्त है।

13- यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

14- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

(संमू शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-7/बजट-46-19/2025- 327(7A) स्वा०, पटना, दिनांक:- 16/09/2026

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सारण प्रमंडल, छपरा/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(संमू शरण)

सरकार के अपर सचिव।